श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
2-समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उ0प्र0

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 03 फरवरी,2005

विषयः- प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अनुसार नये सिरे से राशन कार्ड के मुद्रण व वितरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या-838/29-खा-6-2(4)/91, दिनांक 08-5-1998 द्वारा प्रतिपादित
व्यवस्था के अनुसार वर्ष 1998-99 में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत
विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अनुसार जिलों में बुकलेट फार्म में विभिन्न श्रेणियों के राशन कार्ड
मुद्रित कराकर वितरित कराये गये थे, जो 05 वर्ष के लिये वैध थे और इन राशन कार्डों
का समय समाप्त हो गया है। अतः अब नये सिरे से राशन कार्ड जारी किये जाने है। उक्त
पृष्ठभूमि में प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न तथा
अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरण करने हेतु पूर्व में निर्गत समस्त राशन कार्डों को निरस्त कर
नये सिरे से बुकलेट फार्म में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जिलों में नये राशन कार्ड
मुद्रित कराकर शून्य लाभ-हानि के सिद्धान्त पर वितरित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया
गया है। अस्तु प्रस्तुत आदेश के प्रावधानों की सीमा तक उपरोक्त विषय से संबंधित समस्त
शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश-2004
के अनुक्रम में नयी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्डों को मुद्रित कराने व उनके
निर्गमन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैः-

(1) शासनादेश संख्या-773/उन्तीस-खा-6-98-2(4)/91, दिनांक 30 अप्रैल, 1998
द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को तीन लाख रुपये प्रति जनपद की दर से
रिवाल्विंग फण्ड स्वीकृत किया गया है और यह निर्देश दिये गये हैं कि रिवाल्विंग
फण्ड कैसे संचालित किया जायेगा। जनपदों में यह रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध है।
उक्त शासनादेश दि0 30-4-98 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक जिलाधिकारी
रिवाल्विंग फण्ड का वार्षिक आडिट करायेंगे तथा आडिट रिपोर्ट आयुक्त, खाद्य तथा
रसद विभाग को सूचित करेंगे। कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया
जाय।

(2) नये राशन कार्ड अब बुकलेट फार्म में मुद्रित कराये जायेंगे। बुकलेट का साईज 15
से0मी0 लम्बा और 10 से0मी0 चौड़ा होगा। राशन कार्ड 2010 तक के लिए वैध
होगा। राशन कार्ड का आवरण पृष्ठ तथा अन्तिम पृष्ठ सुदृढ़ तथा लेमीनेटिड होना
चाहिये ताकि उक्त अवधि तक राशन कार्ड क्षतिग्रस्त न हो। राशन कार्ड धारकों का
नाम, लिंग, आयु, पता, व्यवसाय, धारक के साथ निवास कर रहे व्यक्तियों की

--2/--

संख्या, जिसके अंतर्गत उनके नाम, आयु, लिंग , व्यवसाय व धारक से संबंध ...ी है, अंकित किया जायेगा। राशन कार्ड में अभिकर्ता (राशन दुकानदार) का नाम भी दर्ज होगा। राशन कार्ड पर धारक का फोटोग्राफ चिपकाया जायेगा और राशन कार्ड पदाभिहित अधिकारी(पूर्ति निरीक्षक/ज्येष्ठ पूर्ति निरीक्षक और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम्य विकास अधिकारी भी) द्वारा नाम, पदनाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षरित होगा। राशन कार्ड अहस्तान्तरणीय होगा।

(3) ए0पी0एल0 (गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले), बी0पी0एल0 (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले), अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना के लिये अलग-अलग रंगों के राशन कार्ड मुद्रित कराये जायेंगे। ए0पी0एल0 राशन कार्ड का आवरण पृष्ठ पीले रंग का होगा, बी0पी0एल0 राशन कार्ड का आवरण पृष्ठ सफेद रंग का होगा, अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड का आवरण पृष्ठ-गुलाबी रंग का होगा तथा अन्नपूर्णा योजना के राशन कार्ड का आवरण पृष्ठ हरे रंग का होगा। सभी श्रेणी के राशन कार्ड के आवरण पृष्ठ पर चौकोर बार्डर लाइन होगी, ताकि प्रथम दृष्टया यह विदित हो जाय कि उक्त कार्ड वर्ष 2005 में जारी किया गया नया राशन कार्ड है। आवरण पृष्ठ के ऊपर अंकित होगा कि राशन कार्ड बी0पी0एल0, ए0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना अथवा अन्नपूर्णा योजन के लिये है। राशन कार्ड के ऊपर प्रत्येक जनपद का नाम मुद्रित होगा। आवरण पृष्ठ तथा विहित प्रारूप सहित राशन कार्ड के अन्दर के पन्नों का नमूना संलग्न किया जा रहा है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशन कार्डों का मुद्रण अनिवार्य रुप से विहित प्रारूप एवं इसी नमूने तथा निर्धारित आकार का हो।

(4) राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। अतः इसका मुद्रण पूरी सावधानी से किया जाना अनिवार्य है, ताकि फर्जी व डुप्लीकेट राशन कार्ड मुद्रित न हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राशन कार्ड का मुद्रण विश्वसनीय तथा पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेस से ही कराया जाय। जिन जनपदों में विश्वसनीय तथा पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, वे समीप के किसी अन्य जनपद के विश्वसनीय तथा पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेस से राशन कार्ड का मुद्रण करा सकते हैं। राशन कार्डो का मुद्रण कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जायेगी, जो सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए मुद्रण का कार्य सुनिश्चित करेगी:-

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी	सदस्य
3-	सामान्य प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
4-	जिलापूर्ति अधिकारी	सदस्य सचिव

(5) राशन कार्ड मुद्रित कराने के पूर्व जिलाधिकारी यह आकलन करेंगे कि बी0पी0एल0, ए0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के कुल कितने-कितने कार्ड की आवश्यकता उनके जनपद में होगी। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ! ेक जनपद के लिये बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के कार्डो की संख्या पूर्व से ही निर्धारित है और इस संख्या को और अधिक

नहीं-बढ़ाया जा सकता है। अतः उक्त श्रेणी के कार्ड निर्धारित संख्या के अन्दर सीमित रहते हुए इस प्रकार निर्गत किये जायेंगे कि न्यूनतम आय वाले लाभार्थी पहले लाभान्वित हों। बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा परिवारों को छोड़कर अन्य सभी परिवारों को ए0पी0एल0 के कार्ड जारी किये जायेंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के प्रत्येक परिवार के पास बी0पी0एल0, अन्त्योदय , अन्नपूर्णा अथवा ए0पी0एल0 का कार्ड अवश्य उपलब्ध हो।

(6) राज्य योजना आयोग -1 के शासनादेश संख्या-18 एम(6)/ 35-अ-1/2004-12, दिनांक 17 जून, 2004 के अनुसार पाँच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 19,884/- प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रू0 25,546/- प्रति परिवार, प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों/ परिवारों की वार्षिक आय सीमा माना गया है।

(7) प्रिंटिंग प्रेस को राशन कार्ड मुद्रण आदेश जनपद की पूरी आवश्यकता को देखते हुए एक बार में ही पूरी संख्या का दिया जायेगा, ताकि राशन कार्ड मुद्रण कम से कम कीमत में प्राप्त हो सके। परन्तु प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित राशन कार्ड की डिलीवरी विभिन्न चरणों में प्राप्त की जायेगी। उपलब्ध रिवाल्विंग फण्ड से मुद्रित राशन कार्डों की पहली खेप प्राप्त की जायेगी तथा उसका वितरण किया जायेगा और वितरण से प्राप्त धनराशि से दूसरी खेप प्राप्त की जायेगी और उसके बाद तीसरी, चौथी आदि।

(8) जनपद में कुल राशन कार्डो की आवश्यकता के आकलन के अनुसार जिलाधिकारी राशन कार्डों पर पड़ने वाली संख्या के हजार अथवा लाख के अंक निर्धारित करेंगे। राशन कार्डों पर पड़ने वाली संख्या बी0पी0एल0, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा तथा ए0पी0एल0 के लिये अलग-अलग होगी। हजार व लाख में संख्या निर्धारित करने के बाद राशन कार्डो पर राशन कार्ड का नम्बर इस प्रकार डाला जायेगा जैसे-"00001" या 000001" या 0000001" ।

(9) यह सुनिश्चित करने के लिये कि फर्जी या डुप्लीकेट राशन कार्ड मुद्रित न हो जाये प्रत्येक राशन कार्ड के आवरण पृष्ठ पर उत्तर प्रदेश सरकार का "होलोग्राम" चस्पा किया जायेगा। आयुक्त कार्यालय द्वारा जिन जनपदों के लिए होलोग्राम का मूल्य काटकर शेष धनराशि जनपद को लौटायी गयी है, उन्हें दुबारा उसका मूल्य नहीं देना होगा। होलोग्राम का आकार 1 से0मी0 X 2 से0मी0 होगा और इसको चस्पा करने का स्थान राशन कार्ड के नमूने में दर्शाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से होलोग्राम आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा मुद्रित कराये जायेंगे। होलोग्राम के मूल्य का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा रिवाल्विंग फण्ड में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। होलोग्राम एक अत्यन्त सुरक्षित तथा महत्वपूर्ण आइटम है। अतः जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि होलोग्राम किसी जिम्मेदार अधिकारी की व्यक्तिगत सुरक्षा में हो ,जो उसका पूरा हिसाब-किताब रखेगा। जिलाधिकारी अपने स्तर से होलोग्राम आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग से प्राप्त करेंगे।

(10) यद्यपि विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत राशन कार्डों का मुद्रण जनपद स्तर पर कराया जायेगा, परन्तु एकरुपता की दृष्टि से राशन कार्ड पूरे प्रदेश में संलग्न नमूने के आकार-प्रकार के अनुसार ही जनपद स्तर पर मुद्रित कराये जायेंगे। इसमें किसी

--4/--

भी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन अनुमन्य नहीं होगा।

(11) संलग्न नमूने के मुद्रित प्रारूप मुख पृष्ठ, पृष्ठ भाग आदि किसी भी स्थान पर उसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर कोई मुद्रण नहीं कराया जायेगा, इसका उद्देश्य यह है कि पूरे प्रदेश में एक ही प्रकार के कार्ड प्रचलित रहे।

(12) राशन कार्ड का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा मुद्रण पर आ रहे कुल व्यय के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। बी0पी0एल0,अन्त्योदय तथा ए0पी0एल0 के कुल राशन कार्डो पर आ रहे व्यय के आधार पर मूल्य शून्य लाभ-हानि के सिद्धान्त पर निर्धारित किया जायेगा। अन्नपूर्णा योजना का कार्ड निःशुल्क होगा उसका कोई मूल्य नहीं लिया जायेगा। जिले में मुद्रण में आ रहे व्यय के आधार पर प्रति राशन कार्ड का जो मूल्य आ रहा होगा, उसमें प्रति राशन कार्ड 15 पैसे अतिरिक्त जोड़कर जिलाधिकारी राशन कार्ड का मूल्य निर्धारित करेगें। यह 15 पैसे होलोग्राम की अनुमानित कीमत होगी जो आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन कार्ड का मूल्य निर्धारित करते समय जिलाधिकारी पैसे को राउण्ड ऑफ (पूर्णांक) करेगें, ताकि मूल्य पूर्ण इकाई में हो। जिले में राशन कार्ड का जो भी मूल्य निर्धारित किया जायेगा वह राशन कार्ड के आवरण पृष्ठ पर मुद्रित किया जायेगा, परन्तु किसी भी दशा में होलोग्राम का मूल्य सम्मिलित करते हुए प्रति राशन कार्ड मूल्य एक रूपये से अधिक नहीं होगा।

(13) मुद्रित राशन कार्डो का जिला स्तर पर किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा पूरा हिसाब-किताब रखा जायेगा। प्रिंटिंग प्रेस से कब-कब कितनी-----संख्या में किस नम्बर से किस नम्बर तक राशन कार्ड प्राप्त हुए, किसी अधिकारी/ कर्मचारी को कितने कार्ड किस संख्या से किस संख्या तक वितरण हेतु दिये गये आदि विवरणों का पूरा हिसाब-किताब रखा जायेगा। जिस अधिकारी/ कर्मचारी को वितरण के लिये कार्ड दिये जायेगें वह वितरण के उपरान्तराशन कार्डो का प्राप्त मूल्य का पूरा हिसाब देगा और इसे रिवाल्विंग फण्ड में जमा कराया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था/ प्रक्रिया जिलाधिकारी निर्धारित करेंगे।

<u>राशन कार्डो का निर्गमन-</u>

(14) पूर्व में निर्गत समस्त राशन कार्डो को निरस्त करते हुए बुकलेट फार्म में बी0पी0एल0, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा तथा ए0पी0एल0 के नये राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने है। अतः यह महत्वपूर्ण कार्य एक सुव्यवस्थित तथा समयबद्ध अभियान के रूप में चलाया जाना है और पूर्ण सफलता प्राप्त की जानी है। इस अभियान में जिलाधिकारी , खाद्य तथा रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम/ पालिकाओं तथा अन्य विभागों/ संस्थाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।

(15) शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्डवार तथा क्षेत्रवार कर्मचारियों की एक टीम गठित की जायेगी, जो पुराने राशन कार्डो को जमा करायेगी तथा उसकी प्राप्ति रसीद देगी। जिस परिवार का राशन कार्ड जमा कराया जायेगा, उससे नया आवेदन पत्र इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में भरवाया जायेगा। प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा कि परिवार का मुखिया /सदस्य किस दिन आकर नया राशन कार्ड कहाँ से प्राप्त

--5/--

करेगा। अच्छा यह होगा कि सम्बन्धित क्षेत्र/ वार्ड/ मोहल्ले में गठित टीम द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि पर कैम्प लगाकर नया राशन कार्ड निर्गत किया जाय। नया राशन कार्ड जारी करते समय पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-2206/उन्तीस-खा-6-3(48)/90, दिनांक 05 अप्रैल, 1990 में प्राविधानित प्रपत्रों पर रजिस्टर बनाये जायेंगे, जैसा मास्टर रजिस्टर, काउन्टर रजिस्टर आदि।

(16) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा/ न्याय पंचायतवार पुराने राशन कार्डो को जमा कराया जायेगा तथा परिवार का नया आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में भरवाया जायेगा। भरे गये आवेदन पत्र की पड़ताल गांव के कुटुम्ब रजिस्टर / आर्थिक रजिस्टर से भी यथासम्भव की जा सकती है। नये राशनकार्डो को ग्राम सभावार एक काउन्टर रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, जिसमें परिवार के कार्डधारक/ सदस्यों के नाम/ संख्या एवं सदस्यों से कार्डधारक का संबंध, लिंग, आयु, पता, व्यवसाय का उल्लेख होगा तथा उचित दर के दुकानदार (अभिकर्ता) का नाम होगा। इस प्रकार बनाये गये काउन्टर रजिस्टरों का संकलन न्याय पंचायत स्तर पर होगा तथा पूरे विकास खण्ड का एक सम्बन्धित मास्टर रजिस्टरों के भी वही प्रपत्र होगें जो शासनादेश संख्या-2206/उन्तीस-खा-6-3(48)/90, दिनांक 05 अप्रैल, 1990 में प्राविधानित है।

(17) शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही पुराने राशन कार्ड जमा कराने तथा नया राशन कार्ड जारी करने के बीच 7 दिन से अधिक का समय किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उपभोक्ता को उस माह का निर्धारित राशन उपलब्ध हो जाय तथा राशन कार्ड परिवर्तन के कारण उसको मिलने वाला राशन किसी भी हालत में लैप्स न हो तथा आवश्यक वस्तुओं के नियमित उठान व वितरण में कोई अव्यवस्था न उत्पन्न हो।

(18) शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐसे अनेक परिवार होगें जिनके पास इस समय राशन कार्ड नहीं है। ऐसे सभी परिवारों से भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरवाकर उन्हें नये राशन कार्ड जारी किये जायेगें। काउन्टर तथा मास्टर रजिस्टर में ऐसे परिवारों के इन्द्राज के साथ यह दर्ज कर दिया जायेगा कि इनके पास पूर्व निर्गत राशन कार्ड नहीं थे। जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक परिवार के पास नया राशन कार्ड अवश्य हो।

(19) नये राशन कार्ड जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि एक राशन की दुकान से सम्बद्ध समस्त नये राशन कार्ड एक बार में ही जारी कर दिये जाय, ताकि उस राशन की दुकान पर पुराने प्रचलित राशन कार्ड एक बार में ही समाप्त हो जाय तथा गड़बड़ी की सम्भावना न रहे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में मोहल्ले/ वार्ड वार तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा/ न्याय पंचायतवार कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि एक क्षेत्र में एक साथ पुराने कार्डो का प्रचलन बन्द हो जाय।

(20) यह स्पष्ट किया जाता है कि नये राशनकार्ड के निर्गमन के लिए उक्त प्रकिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी। जॉच पत्र में अपेक्षित सूचनाओं की भली-भॉति छानबीन के उपरान्त निर्धारित प्रकिया के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कार्ड निर्गत किये जायेगें।

--6/--

किसी भी परिस्थिति में इसे पुराने कार्डों के बदले नये कार्डों के निर्गमन की प्रक्रिया नहीं माना जायेगा, इसका उद्देश्य यह भी है कि सभी पात्र को राशन कार्ड निर्गत हो। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को पूर्व में किसी श्रेणी का कार्ड निर्गत किया गया हो तो वह निरस्त हो सके।

(21) यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में P.U.C.L vs Union of India WP (civil) 196, 2001 में मा0 न्यायालय ने जन साधारण के 'खाद्यान्न के अधिकार' (Right to food) के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न, सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन/ अनुश्रवण हेतु कोर्ट आयुक्त की नियुक्ति की है। कोर्ट आयुक्तों को स्वैच्छिक संस्थाओं/ जन प्रतिनिधियों / सामान्य जन द्वारा कभी-कभी ऐसे प्रकरणों की सूचना दी जाती है, जिसमें निराश्रित /असहायों एवं विकलांगों को नियमानुसार निर्धारित राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया होता है। ऐसे प्रकरणों को कोर्ट आयुक्तों को गम्भीरता से देखा जाता है। ऐसे मामले में शासन की स्थिति असमंजसपूर्ण हो जाती है। शासनादेश संख्या-4426/29-6-2004-146सा0/2004, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रदेश में भूख से मौत के लिए जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी/ प्रधान, ग्रामपंचायत/ ग्राम पंचायत अधिकारी/ लेखपाल को सीधेउत्तरदायी बनाया गया है। अतएव यह आवश्यक है कि निराश्रित /असहाय/ विकलांगों को उनकी अनुमन्य श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड अवश्य निर्गत हो। जिलाधिकारी इसका विशेष रूप से अनुश्रवण करें।

<u>समय-सारिणी-</u>

(22) नये राशन कार्ड जारी करने का कार्य सुव्यवस्थित रूप से तथा एक निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्न समय-सारिणी निर्धारित की जा रही है:-

कार्यवाही	पूर्ण होने की तारीख
1-टेण्डर करके नये राशन कार्ड मुद्रण करने के आदेश प्रिंटिंग प्रेस को जारी करना।	31मार्च, 2005
2-नये राशन कार्ड की पहली खेप प्राप्त करना।	30अप्रैल, 2005
3-नये राशन कार्ड के वितरण का आरम्भ।	15 मई, 2005
4-पूरे जनपद में समस्त परिवारों को नये राशन कार्ड निर्गत करने का कार्य पूर्ण करना।	30 सितम्बर, 2005

(23) उक्त समय-सारिणी के अनुसार 30 सितम्बर, 2005 तक प्रत्येक जनपद में बुकलेट फार्म में नये राशन कार्ड के वितरण का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा हो जाना है। शासन की यह मंशा है कि प्रदेश में सभी परिवारों को इस अभियान के दौरान नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाय तथा पुराने राशन कार्डों का प्रचलन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय। शासन की यह भी मंशा है कि पात्र व्यक्ति को सही श्रेणी का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व में यदि अपात्र व्यक्ति को किसी भी श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया

--7/--

गया है तो इस त्रुटि को सुधारा जा सके। अतः सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि शासन की भावना के अनुरुप निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अभियान चलाकर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(24) समय सारिणी के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जिलाधिकारी योजना के कार्यान्वयन की पाक्षिक समीक्षा करें। सभी मण्डलायुक्तों से अनुरोध है कि वे इस कार्य की मासिक समीक्षा करें और जिलाधिकारियों को आवश्यक मार्ग निर्देशन प्रदान करें। जिलाधिकारियों द्वारा इस कार्य की पाक्षिक रिपोर्ट आयुक्त, खाद्य एवं रसद को भेजी जायेगी, जो अपने स्तर पर प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करेंगे और शासन को पाक्षिक रिपोर्ट प्रेषित करेंगें। जिलाधिकारियों द्वारा पहली रिपोर्ट 31 मार्च, 2005 तक की प्रगति दर्शाते हुए खाद्य आयुक्त को 15 अप्रैल, 2005 तक प्राप्त हो जानी चाहिए। तत्पश्चात् पाक्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से पक्ष समाप्त होने के 07 दिन के अन्दर खाद्य आयुक्त को प्राप्त होनी चाहिए।

(25) यदि किसी जनपद में पुराने राशन कार्ड अवशेष हो तो ऐसे राशन कार्डो की श्रेणीवार संख्या संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग को सूचित करेंगे एवं ऐसे राशनकार्डो को जनपद स्तर पर ही सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे राशन कार्डो को कुम्भ मेले आदि अवसरों पर, जब अस्थायी राशन कार्ड निर्गत करने की आवश्यकता होती है, अस्थायी राशन कार्ड के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग ऐसे विशेष अवसरों पर ऐसे अस्थायी राशन कार्ड निर्गत करने के लिए सक्षम होंगे। संबंधित जिलाधिकारी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग की पूर्व अनुमति से ऐसे विशेष अवसरों पर अस्थायी राशन कार्ड निर्गत करेंगे, जिसमें राशनकार्ड की अवधि एवं अन्य विवरण के साथ 'अस्थायी राशन कार्ड' की मुहर अंकित की जायेगी। यदि किसी जनपद में अस्थायी राशन कार्ड निर्गत करने की आवश्यकता है और वहाँ ऐसे पुराने राशनकार्ड उपलब्ध न हों तो आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग सीमावर्ती अन्य जनपद से ऐसे राशन कार्ड उपलब्ध करायेंगे।

शासन जिलाधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे अपने-अपने जनपदों में इस कार्य को समय से सफलतापूर्वक सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/29-6-2004,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलीय सहायक खाद्य आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग ,उत्तर प्रदेश।

4- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद।
6- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।